



कृषि विज्ञान केन्द्र, लूनकरनसर (बीकानेर-II)  
 राष्ट्रीय राजमार्ग 15 श्री गंगानगर रोड लूनकरनसर  
 प्रसार शिक्षा निदेशालय  
 स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर



क्रमांक: एफ / कृषि-लूनकरनसर/ 2024/221

दिनांक : 13/03/2024

### निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र लूनकरनसर के फार्म पर खरीफ 2024 व रबी 2024-25 में 16.0 हेक्टेयर भूमि पर फसलों के बीज उत्पादन एवं फसल उत्पादन (मूँगफली, मूँग, ग्वार, मोठ, चना, गेहू, जौ, सब्जी व अन्य फसल) हेतु हिस्सा आधारित खुली निविदा निर्धारित प्रपत्र पर आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्ते कार्यालय से 500 नकद या डिमांड ड्राफ्ट जो कि कि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र लूनकरनसर के पक्ष में देय हो प्रस्तुत कर कार्यालय दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 28/03/2024 को दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फार्म, धरोहर राशि 100000.00 (अखरे रु. एक लाख) का 25 प्रतिशत, यानि कि 25000.00 (अखरे रु. पच्चीस हजार) का डिमांड ड्राफ्ट (DD) को कि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र लूनकरनसर के नाम डे हो संलग्न करना आवश्यक है। मोहर बंद निविदा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र लूनकरनसर के नाम देय होनी चाहिये। निविदादाता को निविदा प्रपत्र दिनांक 28/03/2024 दोपहर 1.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा तथा निविदाये कृषि विज्ञान केन्द्र लूनकरनसर के कार्यालय में दिनांक 28/03/2024 दोपहर 2.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष गठित कमेटी द्वारा खोली जायगी। किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

निविदा की विस्तृत जानकारी व शर्ते [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in), <http://bikaner2-kvk2-in> एवं <http://raubikaner.org/> पर देखी जा सकती है।

NIB- SKA 2324 A 0090

UBN - SKA2324 WSOB00095

*Rlwk*  
 वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष  
 कृषि विज्ञान केन्द्र लूनकरनसर  
 Krishi Vigyan Kendra  
 Lunkaransar, Bikaner-334001



कृषि विज्ञान केन्द्र, लूनकरनसर (बीकानेर-II)  
 राष्ट्रीय राजमार्ग 15 श्री गंगानगर रोड लूनकरनसर  
 प्रसार शिक्षा निदेशालय  
 स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर



हिस्सा आधारित खेती निविदा प्रपत्र

1. निविदा सूचना: एफ/केविके/लूनकरनसर/ 2024/22 | दिनांक: 13/03/2024
2. कार्य की अनुमानित अवधि: खरीफ 2024 व रबी 2024-25
3. निविदादाता/ठेकेदार का नाम (पैन कार्ड की प्रतिलिपि लगावे):  
 .....
4. निविदादाता/ठेकेदार का पता.....  
 .....
5. निविदा फार्म शुल्क रशीद संख्या..... दिनांक..... रकम.....
6. निविदादाता/ ठेकेदार द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण:

क्र सं	विवरण	निविदादाता द्वारा रखे जाने वाला हिस्सा	निविदादाता द्वारा केंद्र को दिए जाने वाला हिस्सा
1.	दाना/ बीज उपज		

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने निविदा की समस्त शर्तों को सावधानी से पढ़ लिया है और अच्छी तरह से समझ लिया है मैं उल्लेखित सभी शर्तों पर कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से सहमत हूँ।

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ व अच्छे चाल चलन वाला हूँ व मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और ना ही मैं किसी भी वितीय संस्था द्वारा दिवालिया घोषित हुआ हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता/ ठेकेदार

निविदादाता/ ठेकेदार का नाम.....

दिनांक.....

मोबाइल न.....

*[Signature]*  
 Senior Scientist (मैट्रिक्यूलर)  
 Krishi Vigyan Kosh  
 Lunkarana कृषि विज्ञान केन्द्र, लूनकरनसर (बीकानेर-II)

(Krishi Vigyan Kosh, Lunkarana कृषि विज्ञान केन्द्र, लूनकरनसर (बीकानेर-II) पर हिस्सा आधारित खेती (खरीफ 2023 व रबी 2024-25) हेतु निविदा शर्तें



### कार्य का विवरण एवं शर्तें

क्र सं	केन्द्र का नाम: कृषि विज्ञान केन्द्र, लूनकरनसर (बीकानेर-II)	
1	कार्य की अनुमानित अवधि	खरीफ 2024 व रबी 2024-25
2	अमानत राशि की प्रकृति एवं राशि (E.M.D.)	रु 25,000/- नकद या डिमांड ड्राफ्ट
3	निविदादाता/ ठेकेदार द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण	16.0 हेक्टेयर भूमि पर फसलों के बीज उत्पादन एवं फसल उत्पादन (मूँगफली, मूँग, ग्वार, मोठ, चना, गेहू, जौ, सब्जी व अन्य फसल)
4	UBN No. NIB Code:	

### हिस्सा आधारित खेती हेतु निविदा शर्तें

1	निविदा फार्म कार्यालय से 500 नकद या डिमांड ड्राफ्ट जो कि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र लूनकरनसर के पक्ष में देय हो प्रस्तुत कर दिनांक 13/03/2024 से कार्यालय दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 28/03/2024 को दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
2	मोहर बंद निविदा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र लूनकरनसर के नाम देय होनी चाहिये।
3	निविदादाता को निविदा प्रपत्र बंद लिफाफे में दिनांक 28/03/2024 दोपहर 1.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा तथा निविदाये कृषि विज्ञान केन्द्र लूनकरनसर के कार्यालय में दिनांक 28/03/2024 दोपहर 2.00 बजे खोली जावेगी। यदि किसी कारण वश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदाये खोली जावेगी।
4	निविदा दाता को अमानत राशि/धरोहर राशि 25,000/- रुपये नकद या डिमांड ड्राफ्ट जो कि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र लूनकरनसर के पक्ष में देय हो, सलग्र करना अनिवार्य है। धरोहर राशि के बिना फार्म निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निविदा दाता की होगी।
5	कार्यालय आदेश जारी होने के तीन दिवस के भीतर (रु 1 लाख) कार्यालय में बतौर अमानत राशि/धरोहर राशि जमा करवाने होंगे तथा उपरोक्त राशि निविदादाता को ठेका संतोषजनक पूर्ण होने पर मय अमानत राशि वापिस लौटा दी जाएगी। अमानत राशि/धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होंगा।
6	ट्रैक्टर सम्बन्धी कार्य यथा डिस्क प्लाउ, हेरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रील द्वारा व बुवाई फर्टिलाईजर ड्रील, थ्रेसर की व्यवस्था निविदादाता/ठेकेदार द्वारा ही की जावेगी अर्थात् इनसे सम्बन्धी डीजल खर्च, वाहन चालक व्यवस्था में केन्द्र का कोई योगदान नहीं रहेगा।
7	बुवाई के दौरान लगने वाले बीज, खाद-उर्वरक, फंफूदनाशक, कीटनाशक, कल्चर की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जावेगी।
8	फार्म पर देय हिस्सा आधारित खेती के क्षेत्रफल एवं फसल का निर्णय फार्म प्रभारी / वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। हिस्सा आधारित खेती का क्षेत्रफल घटाया/ बढ़ाया जा सकता है। निविदादाता/ठेकेदार अपनी इच्छा से फसल एवं फसल के क्षेत्र का निर्णय नहीं कर

*S. M. Senior Scientist in  
Krishi Vigyan Kosh, Bikaner-II*

	सकेगा। फसल व क्षेत्र के निर्धारण में निविदादाता/ठेकेदार का कोई एतराज मान्य नहीं होगा। निविदादाता/ठेकेदार को केंद्र प्रभारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष के निर्णय मानने की बाध्यता होगी।
9	फसल वृद्धि के दौरान रोग व कीट प्रकोप की स्थिति में फंफूदनाशक, कीटनाशक व अन्य रसायन, पानी की आपूर्ति भी केन्द्र ही करेगा परन्तु श्रमिक अवयव व उपकरण निविदादाता/ठेकेदार के ही होंगे।
10	बुवाई से लेकर फसल थेसिंग करवाने संबंधी मजदूरी तथा उसके बाद उत्पाद की साफ सफाई करके बोरियां भरकर, तोलकर गोदाम में रखने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक अवयव निविदादाता/ठेकेदार को ही वहन करने होंगे।
11	स्वीकृत निविदादाता/ठेकेदार को केन्द्र द्वारा उपलब्ध सिंचाई सुविधा का विधुत वितरण की उपलब्धता पर पूर्ण उपयोग करना होगा, चाहे वह दिन में आए या रात्री में।
12	विभिन्न प्रकार की शास्य क्रियाएँ फार्म मेनेजर, फार्म इन्चार्ज व केंद्र प्रभारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष के निर्देशनुसार करनी होगी तथा खास श्रमिक अवयव निविदादाता/ठेकेदार को वहन करना होगा।
13	बीज उत्पादन या फसल उत्पादन कार्यक्रम को समय पर न करने व पशुओं द्वारा फसल को सम्पूर्ण व आंशिक क्षति पहुँचाने की दशा में व चोरी आदि की परिस्थितियों में खेती में व्यय राशि, बीज, रासायनिक दवाये व संस्था द्वारा अन्य निर्धारित व्यय आदि खर्चों को निविदादाता के अंतिम भुगतान व धरोहर राशि से संस्था हित में भरपाई की जायगी।
14	थेशिंग के बाद प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण बीज उत्पाद को सूखा व साफ़ करवा कर केंद्र द्वारा लिया जायेगा। निविदादाता के हिस्से के बीज उत्पाद की एवज में निविदादाता को उपज जमा करने के समय स्थानीय मंडी में प्रचलित मासिक ओसत दर से हिस्सा उत्पाद का मूल्य केंद्र द्वारा निविदादाता को दिया जायेगा। लेकिन उत्पाद की गुणवत्ता निम्न होने पर दर का निर्धारण केंद्र द्वारा निर्धारित कमेटी द्वारा किया जायेगा। कमेटी द्वारा निर्धारित मूल्य को मानना निविदादाता की बाध्यता होगी। बीज उत्पादन के लिए की गई खेती पर निविदादाता को पोधो की छटाई व गुणवत्ता बनाये रखने की एवज में स्थानीय मंडी में प्रचलित साप्ताहिक ओसत दर या संबंधित फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भी अधिक हो उस पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़कर भुगतान किया जायेगा। उक्त भुगतान दाना (बीज) पूर्णतया साफ़ (जैसे डुकली की चुगाई आदि) करने पर दिया जायेगा।
15	थेशिंग के बाद प्राप्त होने वाला चारा शत प्रतिशत निविदादाता का होंगा।
16	व्यायिक फसल उत्पादन में स्थानीय मंडी की मासिक ओसत दर से 10 प्रतिशत अतिरिक्त नहीं दिया जायेगा लेकिन दाना (बीज) की सफाई करनी होगी।
17	फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इकट्ठा करना हैं व कितने ढेर बनाने हैं इसके लिए फार्म मेनेजर, फार्म इन्चार्ज अथवा केंद्र प्रभारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष से सम्पर्क करना होगा तथा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों को देखते हुए फसल इकट्ठा करने के लिये ट्रैक्टर ट्रॉली की सुविधा केन्द्र द्वारा दी जा सकती है। परन्तु यह शर्त केन्द्र के लिये बाध्य नहीं होगी।
18	निराई, गुडाई, सिंचाई, कटाई, थेसिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म मेनेजर, फार्म इन्चार्ज अथवा केंद्र प्रभारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष को होगा।
19	बिना कोई कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार केंद्र प्रभारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष को होगा तथा किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में केंद्र प्रभारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा जो कि निविदादाता/ठेकेदार को मानना बाध्य होगा। किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र लूणकरणसर रहेगा।

*S. N.*  
Senior Scientist  
Kishore Vidyanshikshan Kendra-II  
University of Pimpri Chinchwad  
Kishore Vidyanshikshan Kendra-II

कृषि विज्ञान केन्द्र, लूणकरणसर (बीकानेर-II) पर हिस्सा आधारित खेती (खरीफ 2023 व रबी 2024-25) हेतु निविदा शर्तें

20	फसल में रोगिंग / अपवांछन कार्य फार्म मेनेजर, फार्म इन्चार्ज केंद्र प्रभारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष की देखरेख में करना होगा ।
21	निविदादाता/ठेकेदार को खरीफ व रबी की फसलों में कम से कम दो बार निराई गुडाई आवशक रूप से करनी होगी ।
22	पम्प व ट्यूब वैल मोटर ऑपरेशन निविदादाता/ठेकेदार को ही करना होगा ।
23	फसलों की रखवाली करने की पूर्ण जिम्मेवारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी इसमें शिथिलता बरतने या नुकसान होने पर समिति द्वारा आकंलन करवाया जायेगा जिसे निविदादाता/ठेकेदार के भूगतान में से काट दिया जायेगा ।
24	फसल के दौरान निविदादाता स्वयं के पशु वगैरह फार्म पर नहीं लाये तथा ना हीं यहां से हरा चारा वगैरह ले जाने दिया जायेगा ।
25	निविदादाता/ठेकेदार को केन्द्र के मुख्य द्वार से ही आना-जाना करना होगा । किसी भी अवांछित आदमी को फार्म में आने की ईजाजत नहीं होगी ।
26	सफल निविदा दाता स्वीकृत कार्य करने से इंकार करता है या वह अपने प्रस्ताव से किसी भी समय पीछे हटता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी अथवा निविदा दाता अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है तो भी उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी व करवाये गये कार्य का बकाया भुगतान जप्त करके ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया जायेगा ।
27	सिंचाई नालों व पाटलों की साफ़ सफाई का कार्य निविदादाता/ठेकेदार को करना होगा तथा माह में कम से कम एक बार खालों की सफाई करनी होगी जिसका खर्च निविदादाता/ठेकेदार को वहन करना होगा ।
28	सभी प्रकार के टैक्स वहन की जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
29	कार्य की अवधि खरीफ 2024 से रबी 2024-25 तक की होगी। इस अवधि के दौरान फार्म की स्थिति व उत्पादन के संतोषजनक होने पर आगामी वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए फार्म प्रभारी / वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष से कार्य के संतोषजनक संपादन का प्रमाण पत्र लेना होगा ।
30	फार्म प्रक्षेत्र में उगे पेड़ एवं अन्य सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से होने वाले नुकसान की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी। नुकसान होने पर निविदादाता/ठेकेदार से नुकसान वसूला जायेगा ।
31	फार्म से किसी भी तरह की सामग्री को बाहर ले जाने व लाने की लिखित अनुमति केंद्र प्रभारी से पूर्व में लेनी होगी व सामान केवल कार्यालय समय में ही लाया ले जाया जा सकेगा ।
32	निविदादाता/ठेकेदार द्वारा फार्म पर किसी भी तरह का कोई स्थाई/अस्थाई निर्माण नहीं किया जा सकेगा ।
33	निविदादाता द्वारा अवयस्क श्रमिकों को कार्य पर नहीं लगाया जायेगा। निविदादाता एवं उसके कर्मचारी व उसके श्रमिक निविदादाता के ही सेवक होंगे उनका कृषि विज्ञान केंद्र या विश्वविद्यालय से कोई संबंध नहीं होगा।
34	किसी श्रमिक की दुर्धटना से मृत्यु या अन्य दुर्धटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी। ऐसी स्थिति में केंद्र की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ती राशी का भुगतान किया जायेगा और न ही इस संबंध में केंद्र से क्षतिपूर्ती की मांग की जावेगी ।
35	निविदादाता के श्रमिकों द्वारा यदि फार्म कि फसलों अथवा सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया गया तो उसका हजारिना निविदादाता को भुगतान पड़ेगा अथवा जमा धरोहर राशि या देय भुगतान में से काटा जायेगा । निविदादाता या उसके श्रमिकों द्वारा यदि फार्म पर

*SM*  
Senior Scientist R.H.P.  
कृषि विज्ञान केन्द्र, लौकरनसर (बीकानेर-II)  
कृषि विज्ञान केन्द्र, लौकरनसर (बीकानेर-II) पर हिस्सा आधारित खेती (खरीफ 2023 व रबी 2024-25) हेतु निविदा शर्तें

	कोई गर क़ानूनी गतिविधि संचालित की जाती है तो उसकी जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
36	निविदादाता को पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड व आधार कार्ड की प्रतिलिपि आवश्यक रूप से लगानी होगी व निविदादाता को अपने बैंक खाते का विवरण भी जमा करवाना होंगा।
37	फसलो उत्पादन के दौरान किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा (शीत लहर, ओला, आग जनी) आदि की स्थिथि में हुई क्षति होने पर केंद्र द्वारा ठेकेदार को किसी भी प्रकार का मुहावजा या क्षतिपूर्ति या फसल बीमा योजना का लाभ नही दिया जायगा और न ही ठेकेदार किसी भी प्रकार के मुहावजा या क्षतिपूर्ति की मांग करेगा।
38	निविदादाता द्वारा हिस्सा खेती की भरी गई दर न्युनतम / उच्चतम को मानने के लिए कमेटी बाध्य नही होगी, कमेटी का निर्णय ही सर्वमान्य होंगा।
39	हिस्सा आधारित खेती का कार्य पूर्ण होने पर निविदादाता को कृषि विज्ञान केंद्र लूनकरनसर से नो डिपूज लेना होंगा।
40	निविदादाता को कृषि कार्य का कम से कम एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र सलग्र करना अनिवार्य होंगा।
41	निविदादाता निविदा शर्तो का अध्ययन करने के पश्चात ही निविदा प्रस्तुत करें तथा प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिये।
42	निविदादाता को नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प रु 500/- पर इकरारनामा/अनुबन्ध पत्र टाइप करवाकर तथा नोटेरी से प्रमाणित करवाकर केंद्र में निविदा स्वीकृत होने के दो दिन में जमा करवाना होंगा। यदि निविदा दाता उक्त शर्तो का उलघन करता है तो अनुबंध पत्र को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सुचना के समाप्त कर दिया जायेगा व उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

  
**वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष  
कृषि विज्ञान केंद्र लूनकरनसर**

मैंने (निविदादाता) उपरोक्त समस्त शर्तें पढ़ ली हैं तथा मुझे मंजूर है एंवं मैं उपरोक्त शर्तों पर हिस्सेदारी का कार्य करने के लिये सहमत हूँ। यदि मेरे द्वारा उक्त शर्तों का उलघन किया जाता है या मेरा कार्य किसी भी स्तर पर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो हिस्सा आधारित खेती के अनुबंध को निरस्त करके मेरी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

**हस्ताक्षर निविदादाता/ ठेकेदार**

निविदादाता/ ठेकेदार का नाम.....

पता .....

दिनांक.....

मोबाइल न.....